

मृत पशु शव निस्तारण ठेका/नीलामी सूचना वर्ष 2019-20

जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्र में पशु शव निस्तारण कार्य का ठेका/नीलामी वर्ष 2019-20 के लिये किया जाना है, जिसके लिये शासन के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-858/33-2-91-57डब्लू/91 दिनांक-30.03.1996 एवं तत्सम्बंधी उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियां अपने आवश्यक अभिलेखों सहित विकासखण्डवार/न्याय पंचायतवार अपना आवेदन पत्र दिनांक-28.01.2019 को सायं 03.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकती है। किन्तु जिला पंचायत, बांदा के किसी भी वर्ष के बकायेदार सहकारी समितियों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जब तक कि सहकारी समितियों द्वारा पंचायत की अवशेष ठेका धनराशि जमा नहीं की जाती है। जिन विकास खण्डों में वैध सहकारी समितियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनकी नीलामी पैत्रिक/पेशेवर व्यक्तियों के मध्य निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	जमानत धनराशि	नीलामी तिथि
1	महुआ, नरैनी, बिसण्डा, बबेरु, कमासिन, तिन्दवारी, जसपुरा, बडोखर खुर्द	मु० 15.00 हजार रू० प्रति न्याय पंचायत	दिनांक-30.01.2019 समय प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक-30.01.2019 को उपरोक्तानुसार जिन विकास खण्डों के मृत पशु शव निस्तारण कार्य की ठेका नीलामी नहीं होगी उनकी नीलामी आगामी प्रत्येक सोमवार को नीलाम समिति के समक्ष कार्यालय, जिला पंचायत, बांदा में की जायेगी। पैत्रिक एवं पेशेवर व्यक्तियों की बोली से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त पैत्रिक पेशेवर होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित जमानत धनराशि जमा करना होगा। सम्बंधित नीलामी सूचना बांदा जिले की वेबसाइट <http://banda.nic.in> पर देखी जा सकती है। अन्य शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बांदा

कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

पत्रांक - 877 /ह०च०ठे०/2018-19/दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपि - उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. म० अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, बांदा।
2. कार्यालय जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार एवं नगर पालिका परिषद बांदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
3. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे पंजीकृत सहकारी समितियों की सूची दिनांक-26.01.2019 के पूर्व प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा।
5. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता, जिला पंचायत, बांदा (सदस्य नीलाम समिति) को इस आशय से कि वे मृत पशु शव निस्तारण की खुला नीलामी तिथियों में ससमय कार्यालय में उपस्थित रहने का कष्ट करें।
6. व्यवस्थापक, प्रादेशिक समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण झांसी तथा स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवकर्मयुग प्रकाशन बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञापित अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
7. कैशियर, जिला पंचायत, बांदा को इस निर्देश के साथ कि वे निर्धारित तिथियों में कार्यालय में उपस्थित रहकर नीलाम समिति के निर्देशानुसार बोलीदाताओं की जमानत/ठेका धनराशि जमा करायें।
8. समस्त वसूली स्टाफ, जिला पंचायत, बांदा को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
9. समस्त मृत पशु शव निस्तारण सम्बंधी ठेकेदार, जिला पंचायत, बांदा।
10. जिला पंचायत, बांदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा